



न्यायालय

सहायक कलक्टर / उपखण्ड अधिकारी
धोरीमन्ना-बाड़मेर

(पीठासीन अधिकारी -भागीरथराम आर.ए.एस.)

वाद संख्या:-147/12

दर्ज तिथि:-12.07.2012

1. मघाराम पुत्र तिलोकाराम
जाति जाट निवासी कुण्डावा, भीलों की ढाणी कला, तहसील धोरीमन्ना
.....वादी

बनाम

1. अणसी पत्नी गोमाराम
2. खेराज पुत्र तिलोकाराम फौत के कायम मुकाम
2/1 अमराराम पुत्र खेराजराम
2/2 रामलाल पुत्र खेराजराम फौत के कायम मुकाम
2/2/1 पेमाराम पुत्र रामलाल
2/2/2 ओमाराम पुत्र रामलाल
2/2/3 जेठाराम पुत्र रामलाल
2/2/4 दोली पत्नी रामलाल
3. नवलसिंह पुत्र तिलोकाराम
4. नरसिंगाराम पुत्र तिलोकाराम
5. उदाराम पुत्र मोटाराम
6. हेमाराम पुत्र मोटाराम
7. नेनाराम पुत्र मोटाराम
8. मेघसिंह पुत्र मुलाराम
9. विजय कुमार पुत्र मुलाराम
जाति जाट निवासी कुण्डावा, भीलों की ढाणी कला, तहसील धोरीमना जिला बाड़मेर
.....असल प्रतिवादीगण
10. तहसीलदार धोरीमन्ना
.....तकमिली प्रतिवादीगण

उपस्थित अधिवक्ता

वादी:-श्री ओमप्रकाश विश्णोई

प्रतिवादीगण:-श्री नारायण कुमावत

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा-88,53,188
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955


-:पर्चा डिक्री:-

सहायक कलक्टर
SDO धोरीमन्ना



दावा वादी एवं प्रतिदावा प्रतिवादीगण अन्तर्गत धारा-53,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम- 1955 बाबत तकसीम आराजी व स्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार किया जाता है एवं हाल आराजी खसरा संख्या 146/20.2100 है0 किस्म बा.दोयम, 146/2/4.1035 है0 किस्म बा.दोयम, 67/9.6963 है0किस्म बा.दोयम वाके ग्राम कुण्डावा पटवार मण्डल लोहारवा तहसील धोरीमन्ना जिला बाड़मेर मुताबिक कुरेजात रिपोर्ट मय नक्शा-ट्रेस नीचे अंकित तालिकानुसार वादी व प्रतिवादीगण के हिस्से अनुसार दावा वादी एवं प्रतिदावा प्रतिवादीगण अंतिम डिक्री किया जाता है। पक्षकारान के अलग खाता प्रविष्टिया दर्ज किये जाने के आदेश तहसीलदार धोरीमना को दिये जाते हैं।

क्र.सं.	खातेदार	हिस्सा	खसरा	रकबा	किस्म	बरंग
1.	मघाराम पुत्र त्रिलोकाराम कौम जाट सा.देह	पूर्ण	67 146/2 146	2.9627 1.2538 6.1752	बा.दो.	लाल
2.	अणसी पत्नी गोमाराम पेमाराम पुत्र रामलाल ओमप्रकाश पुत्र रामलाल जेठाराम पुत्र रामलाल मेघसिंह पुत्र मूलाराम विजयकुमार पुत्र मूलाराम हेमाराम पिता मोटाराम उदाराम पिता मोटाराम नेनाराम पिता मोटाराम अमराराम पुत्र खेराजराम नरसिंगा पिता तिलोकाराम नवलसिंहपिता तिलोकाराम दोली पत्नी रामलाल	पूर्ण	67 146/2 146	6.7336 2.8497 14.0348	बा.दो	पीला



उक्तानुसार वादी व प्रतिवादीगण के हिस्से अनुसार वादी व प्रतिवादीगण अपने हिस्से की खातेदारी आराजी को अपने नाम खातेदारी में पृथक-पृथक खाता दर्ज कराने के अधिकारी है तथा असल प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वादी के उपरोक्त दर्ज खाता हिस्सा आराजी पर जबरन कब्जा बेदखल न करे, ना ही किसी प्रकार के कब्जे काश्त में रुकावट व मजाहमत पैदा करें तथा शकल मौका आराजी ना बदले।

नक्शा कुरेजात निर्णय का अनन्य भाग रहेगा। अहकाम जारी हो। पक्षकारान खर्चा अपना-अपना वहन करेंगे। यह निर्णय आज दिनांक 16.09.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर हस्ताक्षर कर एवं मुहर युक्त जारी किया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(भागीरथराम आर.ए.एस.)
सहायक कलेक्टर
धोरीमना बाड़मेर